यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं मजिस्ट्रेट मांगरोल जिला बारां

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

करण सख्या : 98/2014

मोसमी बाई पत्नि श्री सूरजमल जाति तैली निवासी सीसवाली तहसील मांगरोल जिला बारां

...प्रार्थीया

♠ बनाम ♠

1. नरेश कुमार } पुत्रान छीतरलाल जाति तेली निवासी भंवरा रोड सुल्तानपुर तह0 दीगोद
2. सुरेश कुमार } जिला कोटा
3. रामेश्वर } पुत्रान बजरंगलाल जाति तेली निवासी सब्जीमण्डी की टेक सीसवाली तहसील
4. मांगीलाल } मांगरोल
5. मनभर बाई पत्नि मुकेश जाति तेली निवासी सब्जीमण्डी के पास सीसवाली तह0 मांगरोल
6. राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार मांगरोल जिला बारां (राज0)

....अप्रार्थीगण

वाद अन्तर्गत धारा 53, 188 राजस्थान टीनेन्सी एक्ट

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान टीनेन्सी एक्ट

पीठासीन अधिकारी : श्री प्रमोद कुमार सिंधव (आरएएस)
वकील वादी : श्री दया कृष्ण धाकड
वकील प्रतिवादीगण कम 1 ता 4 : श्री चन्द्र प्रकाश पारेता
दायरा दिनांक: 07.11.2014 निर्णय दिनांक : 09.08.2018

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि प्रार्थीया एवं अप्रार्थीगणो की शामलाती खातेदारी की आराजी हाल खसरा नं0 4684 रकबा 0.34 है0, खसरा नं0 4688 रकबा 0.40 है0 खसरा नं0 4689 रकबा 0.25 है0, खसरा नं0 4690 रकबा 0.08 है0, खसरा नं0 4691 रकबा 0.74 है0, खसरा नं0 4692 रकबा 3.33 है0, खसरा नं0 4693 रकबा 0.30 है0, खसरा नं0 4694 रकबा 0.19 है0, खसरा नं0 4700 रकबा 2.24 है0, खसरा नं0 4701 रकबा 0.08 है0, कुल किता 10 रकबा 7.95 है0 ग्राम सीसवाली तहसील मांगरोल जिला बारां में स्थित है, जिसमें प्रार्थीया का हिस्सा 1/8 निहित है। प्रार्थीया एवं अप्रार्थी नं0 1 लगायत 4 एक ही परिवार के सदस्य है, एवं अप्रार्थी नं0 5 ने अप्रार्थी नं0 2 व 3 से आराजी कय की है, प्रार्थीया उक्त वर्णित आराजी की हिस्सा 1/8 की सहखातेदार है। एवं पारिवारिक बंटवारे अनुसार अपने हिस्से पर काबिज काश्त है। प्रार्थीया के खातेदारी की आराजी पर आये दिन अप्रार्थी नं0 4 कब्जे काश्त में दखलअंदाजी करता रहता है। जिससे प्रार्थीया को काश्त करने में व्यवधान पैदा होता है। प्रार्थीया के लिए शांतिपूर्वक काश्त करने के लिए आवश्यक हो गया है कि प्रार्थीया अप्रार्थीगण नं0 1 ता 5 के विरूद्ध अस्थायी निषेधाज्ञा प्राप्त करें व साथ ही अपना हिस्सा 1/8 अप्रार्थीगणो से पृथक रेकार्ड में

कराने की कानूनी अधिकरणी है। अतः प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कि प्रार्थीया के पक्ष में विरूद्ध प्रार्थीगण ता फैसला वाद इस आशय की अस्थायी निषेधाज्ञा जारी की जावें कि उक्त वर्णित आराजी को अप्रार्थीगण रहन बैचान न करें तथा प्रार्थीया को आराजी पर शांतिपूर्ण काश्त करने देवें।

उक्त आशय का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर दिनांक 07.11.2014 को प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादीगण को जर्ये सम्मन तलब किया गया जिसकी तामिली प्रति शामिल फाईल है। प्रतिवादी कम 1 ता 4 की ओर से अधिवक्ता श्री चन्द्र प्रकाश पारेता ने वकालत नामा प्रस्तुत किया। प्रतिवादी कम 1 ता 4 द्वारा जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत नही किया गया।

पत्रावली का आद्योपान्त अवलोकन, मनन व अध्ययन किया गया। प्रार्थीया के अधिवक्ता श्री दया कृष्णा धाकड की दिनांक 08.08.2018 को बहस सुनी गयी। प्रार्थीया के अधिवक्ता ने अपनी बहस में उन्ही तथ्यों का कथन किया जिनका उन्होने अपने प्रार्थना पत्र में अंकन किया है। चूकि प्रार्थीया खसरा नं0 4684 रकबा 0.34 है0, खसरा नं0 4688 रकबा 0.40 है0 खसरा नं0 4689 रकबा 0.25 है0, खसरा नं0 4690 रकबा 0.08 है0, खसरा नं0 4691 रकबा 0.74 है0, खसरा नं0 4692 रकबा 3.33 है0, खसरा नं0 4693 रकबा 0.30 है0, खसरा नं0 4694 रकबा 0.19 है0, खसरा नं0 4700 रकबा 2.24 है0, खसरा नं0 4701 रकबा 0.08 है0, कुल किता 10 रकबा 7.95 है0 ग्राम सीसवाली तहसील मांगरोल में हिस्सा 1/8 की रेकार्डेड खातेदार एव अपने हिस्से पर काबिज होकर काश्त कर रही है। अतः प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर अप्रार्थीगण कम 1 ता 5 को जर्ये अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाता है मूल वाद में न्यायालय द्वारा निर्णय सुनाये जाने तक ग्राम सीसवाली की आराजी खसरा नं0 4684 रकबा 0.34 है0, खसरा नं0 4688 रकबा 0.40 है0 खसरा नं0 4689 रकबा 0.25 है0, खसरा नं0 4690 रकबा 0.08 है0, खसरा नं0 4691 रकबा 0.74 है0, खसरा नं0 4692 रकबा 3.33 है0, खसरा नं0 4693 रकबा 0.30 है0, खसरा नं0 4694 रकबा 0.19 है0, खसरा नं0 4700 रकबा 2.24 है0, खसरा नं0 4701 रकबा 0.08 है0, कुल किता 10 रकबा 7.95 है0 आराजी को रहन, बैचान व किसी प्रकार से खुर्द–बुर्द नही करें व प्रार्थीया की कब्जे काश्त की आराजी हिस्सा 1/8 में दखलअंदाजी ना तो स्वयं करें और ना ही अपने प्रतिनिधि से करावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर दाखिल दफ

निर्णय आज दिनांक 09.08.2018 को सरेईजलास मजमेंआम में सुन